



2026:AHC:54357

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9856 वर्ष 2026

श्रीमती पूनम सिंह और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृष्ण प्रताप यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और श्री सुरेश बाबू, राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों याचिकाकर्ता पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और उन्हें निजी प्रतिपक्षियों से जीवन को खतरा होने की आशंका है।
4. तत्सम विपरीत, राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दोनों पहले से ही विवाहित हैं और याचिकाकर्ताओं का कार्य अवैध है क्योंकि दोनों याचिकाकर्ताओं ने अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं की है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान विवाद इस न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय के साथ पूरी तरह से आच्छादित किया गया है, जो रिट-सी संख्या-18743 वर्ष 2020 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। और अन्य), दिनांक 01.12.2020, रिट-सी संख्या-7230 वर्ष 2024 (भगवती पथवार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) को 14.3.2024 को निर्णय लिया गया और इस न्यायालय का निर्णय रिट-सी संख्या-36027 वर्ष 2025 (श्रीमती सोनम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) में पारित किया गया, जिसका निर्णय 07.11.2025 को हुआ, इसलिए, प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

5. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

6. विवाह के संबंध में या लिव-इन रिलेशनशिप में, दो सहमति वाले वयस्क मनुष्य होने चाहिए। गोत्र, जाति और धर्म की अवधारणा बहुत पीछे चली गई है। किसी को भी दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि दो वयस्कों के माता-पिता भी उनके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन, स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं है, यह कुछ प्रतिबंधों द्वारा भी योग्य है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां से विलुप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। एक पति या पत्नी को अपने समकक्ष की कंपनी का आनंद लेने का वैधानिक अधिकार है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और दूसरे पति या पत्नी के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या अधिक वजन नहीं कर सकती है। यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित हैं और उनके पति या पत्नी जीवित हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से पहले के पति या पत्नी से तलाक मांगे बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसे पहले विवाह करने या अपने कानूनी विवाह से बाहर रिश्ते में रहने से पहले सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त करनी होगी।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न घोषणाओं में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते समय, यह इस तथ्य को दिशानिर्देश देता है कि जोड़े को शादी करने के लिए कानूनी उम्र होनी चाहिए और अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य होना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण अवधि के लिए पति या पत्नी के समान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होना चाहिए। मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं या उन्होंने पहले की शादी से तलाक लेने के बाद शादी की है। इस न्यायालय के समक्ष न तो संयुक्त खाते, वित्तीय सुरक्षा, संयुक्त संपत्ति या संयुक्त व्यय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है ताकि यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी के समान हैं।

8. निम्नलिखित संबंध को विवाह की प्रकृति में लिब-इन रिलेशनशिप या रिलेशनशिप के रूप में मान्यता या अनुमोदित नहीं किया गया है। यह सूची संपूर्ण नहीं है बल्कि केवल उदाहरण है:

"(क) उपपत्नी विवाह की प्रकृति में संबंध बनाए नहीं रख सकती है।

(ख) बहुविवाह, जो एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति होने का संबंध या प्रथा है, या एक द्विविवाही विवाह के माध्यम से एक संबंध है जो पहले से ही किसी अन्य से विवाहित होने के दौरान किसी से शादी कर रहा है और/या एक व्यभिचारी संबंध बनाए रखना है जो एक विवाहित व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक संभोग कर रहा है जो किसी का पति या पत्नी नहीं है, को विवाह की प्रकृति में एक संबंध नहीं कहा जा सकता है। बहुविवाह भी धारा 494 और 495 भ०द०वि० के तहत एक आपराधिक अपराध है।

(ग) जब तक तलाक की डिक्री पारित नहीं हो जाती तब तक विवाह कायम रहता है। पहली शादी के निर्वाह के दौरान कोई अन्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 सपठित भ०द०वि० की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करेगा और व्यक्ति, किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बावजूद द्विविवाह के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) यदि दोनों व्यक्ति अन्यथा अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं।

9. यह स्थापित कानून है कि परमादेश की रिट जारी की जा सकती है यदि याचिकाकर्ता को उस पक्ष द्वारा कानूनी कर्तव्य के प्रदर्शन का कानूनी अधिकार है जिसके खिलाफ



परमादेश की मांग की गई है और ऐसा अधिकार याचिका की तारीख पर कायम होना चाहिए। प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर परमादेश जारी करने के सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर सुरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस तरह की सुरक्षा के रूप में पूछा जा रहा है, भ०द०वि० की धारा 494/495 के तहत अपराध के कमीशन के खिलाफ सुरक्षा के बराबर हो सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि परमादेश की रिट कानून के विपरीत जारी नहीं की जा सकती है या दंडात्मक प्रावधान सहित एक वैधानिक प्रावधान को विफल करने के लिए जारी नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के पास परमादेश मांगने का कानूनी रूप से संरक्षित और न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अस्तित्व का अधिकार नहीं है।

10. ऊपर उल्लिखित पक्षों और इस न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उन याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो ऊपर उल्लिखित सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। ऐसी स्थिति में, लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ आशा देवी (उपरोक्त), भगवती पथवार (उपरोक्त) और श्रीमती सोनम (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।

11. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता परेशान हैं या हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन हैं, तो वे एक विस्तृत आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत करके संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह के आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकारी इसकी सामग्री को सत्यापित करेगा और याचिकाकर्ताओं के जीवन और अंग को सुरक्षित करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

12. तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 17, 2026



निर्णय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।